

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

२५/६
२५

वकीली द्वारा कस्टोडियन का काम स्थापित
किया गया। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक -
१७/८/२५ को वैध हो।

१७/८
२५

पत्रावली पैश हुई। वकील प्राची अनु-
पूति प्रकरण से संबंधित मूल वाद
अफम हाजरी अफम पैकी में खारिज
किया जा चुका है। ऐसी स्थिति
में न्यायालय उक्त पत्रावली को आगे
निराकर रखना अचेत नहीं समझता है।
अतः पत्रावली को खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल नुमांदा होकर नम्बर
से उम डी जाये। निर्णय आज
दिनांक १७.०८.२०२५ को सेरे
इजलास सुनाया गया।